बिहार मानवाधिकार आयोग के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर
महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान का सम्बोधन

(दिनांक 21.01.2023, समय–11:00 बजे पूर्वाह्न, स्थान– ऊर्जा ऑडिटोरियम, शास्त्रीनगर, पटना)

सर्वप्रथम मैं बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 14 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

मानवाधिकारों को किसी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना जाता है। हमेशा और सभी जगह मिलनेवाले ये अधिकार सबके लिए समान होते हैं तथा किसी व्यक्ति को रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति या अन्य आधारों पर इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति से इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गयी तथा मनुष्य की गरिमा और अधिकारों के मामले में समानता दी गई। साथ ही, यह भी कहा गया कि उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

मानवाधिकारों की रक्षा किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण विकास, सामाजिक प्रगति व प्रतिष्ठा तथा जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है तथा राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 10 दिसम्बर, 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा प्रदत्त दायित्वों एवं शक्तियों के आलोक में अपने स्थापना काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है।

मुझे बताया गया कि बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में त्वरित तथा कई महत्वपूर्ण मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई की जाती है। माह जुलाई, 2019 से एच०आर०सी० नेट पॉर्टल के माध्यम से परिवादों की प्राप्ति एवं कार्रवाई की ऑन लाईन व्यवस्था शुरू होने से परिवादी ऑन लाईन परिवाद दाखिल कर सकते हैं। किसी भी केस से संबंधित सुनवाई की तिथि एवं आदेशों को ऑन लाईन देखा जा सकता है। इससे आयोग के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है एवं आम जन को भी सुविधा हुई है। बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा अपने वाद अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का कार्य माह अक्टूबर, 2022 से प्रारंभ कर दिया गया है। मेरी कामना है कि मानवाधिकारों के संरक्षण में आयोग यथेष्ट रूप से सक्षम एवं सफल बने।

यद्यपि, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु बिहार मानवाधिकार आयोग सतत प्रयत्नशील है, परन्तु लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना होगा। आप सबको बहुत–बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द!

***